

संपादकीय

शुगर फ्री कैंसर

चीनी के विकल्प के रूप में जिस रासायनिक मिठास 'शुगर फ्री' का उपयोग तमाम बहुराष्ट्रीय कंपनियां करती रही हैं उनसे स्वास्थ्य पर पड़ने वाले घातक प्रभावों को लेकर नये सिरे से बहस छिड़ गई है। कृत्रिम रूप से खाद्य पदार्थों को मीठा करने वाले एस्पार्टम को कैंसर कारक के रूप में वर्गीकृत तो किया गया है, लेकिन इसके सेवन को लेकर निर्णायक चेतावनी जारी न किये जाने पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल, विश्व स्वास्थ्य संगठन के पोषण व खाद्य सुरक्षा विभाग के तहत दो समूहों में हजारों वैज्ञानिकों के शोध अध्ययन समाने के बाद कृत्रिम मीठे को कैंसर के कारकों के रूप में वर्गीकृत किया गया था। ये निकर्ष समाने आना बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया में भीमकाय कंपनियां कृत्रिम मीठे से बने उत्पादों का खरबों रुपये का कारोबार करती हैं। साथ ही दुनिया के तमाम इस तरह के शोधों को प्रभावित करने का भी दमखम रखती है। साथ ही महाशक्ति का राजाश्रय भी उनकी ताकत होती है। यही वजह है कि इस कृत्रिम मिठास को कैंसर कारक वर्ग में शामिल करने के बावजूद इस बाबत कोई निर्णायक दिशा-निर्देश नहीं आए कि इसका उपयोग न किया जाये। स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों का एक वर्ग माना है कि शुगर फ्री से कैंसर की आशंका को लेकर स्पष्ट चेतावनी समाने आनी चाहिए। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह जरूर कहा है कि लोग एस्पार्टम वाले शुगर फ्री और डाइट खाद्य पदार्थों का सेवन करें। दरअसल, अब तक धारणा रही है कि चीनी से दो सौ गुना अधिक मीठे व कम कैलोरी खपत वाले पदार्थ से शुगर के घातक प्रभावों से बचा जा सकता है। दरअसल, यह पदार्थ विश्व की नामी कंपनियों के शीतल पेय पदार्थों के अलावा चूर्ण गम व दूष्यपेस्ट आदि हजारों खाद्य पदार्थों में मिलाया जाता है। बीती सदी के अस्सी के दशक में उपयोग में आई कृत्रिम मिठास इससे पहले ही विवादों में धीरे रही है, स्वास्थ्य विशेषज्ञ इसके नुकसान के प्रति चेताते रहे हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के पोषण और खाद्य सुरक्षा विभाग की पहल के बाद इन पदार्थों के सहेत पर दुश्भाव पड़ने की आशंकाओं के यथार्थ को दुनिया के समाने रखा है। कुछ लोगों की दलील है कि सीमित मात्रा में कृत्रिम मिठास वाले पदार्थ लेने से समस्या नहीं होती है। दरअसल, समस्या इसके अधिक मात्रा में सेवन करने से पैदा होती है। लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन की कैंसर विशेषज्ञों की समिति अंतर्राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान संस्था के इसे संभावित कैंसर कारकों की सूची में वर्गीकृत करने के बाद उपभोक्ताओं की चिंता बढ़ी है। ऐसे में मांग की जा रही है कि इसके उपयोग की सुरक्षित मात्रा का नियमक संस्थाएं निर्धारण करें। कुछ लोगों का अब तक माना रहा है कि हृदय व मधुमेह रोगों के विस्तार में भी इसकी भूमिका रही है। वर्षी इसके उपयोग के पक्षधर बताते हैं कि वजन के हिसाब से इसका उपयोग सुरक्षित होता है। लेकिन सवाल ये है कि बड़ी मात्रा में बच्चों द्वारा इसका उपयोग करने से उपजी चिंताएं अलग हैं क्योंकि उनसे संयम की उम्मीद कैसे की जाये। चिंता इस बात की भी है कि बच्चों में बचपन से अधिक मीठा लेने की आदत बन सकती है। वह भी तब जब वैज्ञानिक निष्कर्ष बताते हैं कि कृत्रिम मिठास वजन कम करने में मददगार नहीं है। ऐसे में चिकित्सक सलाह देते हैं कि वाहे प्राकृतिक शुगर हो या कृत्रिम मिठास, दोनों के अधिक उपयोग से परहेज करना चाहिए। अतरु उत्पादक कंपनियां मीठे के स्थान पर स्वाद को प्राथमिकता दें। निस्संदेह, विकासशील देश, जहां बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद खापने को आत्म रहती हैं, वहां सरकारों का भी दायित्व बनता है कि नागरिकों के स्वास्थ्य के मैदानजर स्वतंत्र रूप से शोध-अनुसंधान के जरिये सच समाने लाएं। यह भी कि ये कृत्रिम पदार्थ किस सीमा तक लोगों के स्वास्थ्य के लिये नुकसानदायक नहीं होते हैं। इस मुद्रे पर देश में व्यापक बहस की जरूरत है। विगत में विश्व स्वास्थ्य संगठन भी उपभोक्ताओं से वजन नियंत्रण के लिये चीनी के अतिरिक्त अन्य मीठे पदार्थों के उपयोग में कमी लाने की सलाह दे चुका है।

आदित्य नारायण

“ संविधान का शासन देखना न्यायपालिका का काम होता है क्योंकि हर राज्य की सरकार और उसके चुने हुए प्रतिनिधि संविधान की कसम उठा कर ही अपना काम शुरू करते हैं और भारतीय लोकतन्त्र में पुलिस भी संविधान से ही बच्ची होती है। ”

”

2 नियमों के बीच अटकी संसद में मणिपुर की चर्चा

अभियन्य आकाश

मणिपुर की रिंगिटो को लेकर चर्चा के फॉर्मेट को लेकर सरकार और विषय के बीच ठन गई है। इसके कारण संसद के मानसून सत्र का पहला दिन बाधित हुआ। इस दौरान रूल 176 और रूल 267 का जिक्र आया। एक तरफ सरकार जहां छोटी अवधि की चर्चा के लिए सहमत नहीं ही। वर्षी, विषय ने जरूर देख कहा कि प्रधानमंत्री नियम 267 के तहत सभी मुद्दों को निलंबित कर चर्चा के बाद स्वतंत्र संज्ञान लें। आखिर क्या है जिसके लिए न्यायपालिका में योहां राज्य के आधार 'लोक' अधिकत लोगों के मान-सम्मान की ज्ञान के लिए संविधान में दिये गये उनके अधिकारों की सर्वांग सुरक्षा की और तय किया कि लोगों द्वारा चुनी गई सरकार संवर्धनम उन्हीं के लिए विषयान से ही बच्ची के

काम आग्रह करने की अनुमति देता है। स्पीकर को यह तय करना होगा कि सांसद को प्रस्ताव पेश करने की अनुमति दी जाए या नहीं। इसके परिणामस्वरूप सदन ने इस अत्यावश्यक मामले पर चर्चा करने के लिए कार्य की अपनी नियारित सूची को रद कर दिया। स्थगन प्रस्ताव एक प्रकार के लिए सरकार की नियम 267 के तहत सभी मुद्दों को निलंबित कर चर्चा के बाद स्वतंत्र संज्ञान लें। आखिर क्या है जिसके लिए न्यायपालिका में होही है? दूसरी तरफ रूल 176 क्या है जिसके तहत सरकार की अधिकारियों ने एक विशेषज्ञ विधियाका के नियमों के तहत शुल्क हुई। क्रेंट्रीय विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों में विषयान पर चर्चा के लिए ताजीकरण हो रहा है। और उन्हें इसके लिए चाहिए था कि विषयान पर चर्चा के लिए संविधान में दिये गये उनके अधिकारों की सर्वांग सुरक्षा की और तय किया कि लोगों द्वारा चुनी गई सरकार संवर्धनम करते हैं और उन्हें खेतों में खेड़े कर जिसके लिए विषयान से ही बच्ची के

नियमों में यह विवरण दिया गया कि दोनों सदन कैसे कार्य करेंगे। उन्होंने विभिन्न प्रक्रियात्मक तंत्रों को भी निर्दिष्ट किया जिसके द्वारा संसद सदस्य (सांसद) दो विधायी सदनों के कामकाज में भाग ले सकते हैं। पिछले सात दशकों में ये नियम बदल गए हैं, लेकिन बुनियादी सिद्धांत अपरिवर्तित है। सदन में मामले उठाने के लिए सांसदों को पीठासीन अधिकारियों (राज्यसभा के समाप्ति और लोकसभा अध्यक्षों) को पहले से सूचित करना होगा। यह आवश्यकता सुनिश्चित करती है कि सरकार सांसदों को जवाब देने के लिए जानकारी एकत्र कर सकती है। सरकार के पास जिसकी दो बजटों का भी अपना एंडेंज है। इसमें पहले से जानकारी देना जरूरी है ताकि सांसद बहस के लिए खुद को तैयार कर सके। प्रत्येक सदन का सविधानलय सरकार और व्यक्तिगत सांसदों के नोटिस को सांसद में एक दिन के कामकाज की सूची में संकलित करता है। और सांसद केवल उस मामले पर चर्चा कर सकते हैं जो दिन के कामकाज पर है।

कार्यवाही स्थगित करने की मांग

लेकिन नियारित कार्य को लिया गया था कि दोनों सदनों के लिए अपने अधिकारियों को विधायी सदनों के कामकाज में भाग ले सकते हैं। यह नियम एक सांसद के अत्यावश्यकता जो उपर्याप्त है। अतरु उत्पादक कंपनियां मीठे के स्थान पर स्वाद को प्राथमिकता दें। निस्संदेह, विकासशील देश, जहां बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद खापने को आत्म रहती हैं, वहां सरकारों का भी दायित्व बनता है कि नागरिकों के स्वास्थ्य के मैदानजर स्वतंत्र रूप से शोध-अनुसंधान के जरिये सच समाने लाएं। यह भी कि ये कृत्रिम पदार्थ किस सीमा तक लोगों के स्वास्थ्य के लिये नुकसानदायक नहीं होते हैं। इस मुद्रे पर देश में व्यापक बहस की जरूरत है। विगत में विश्व स्वास्थ्य संगठन भी उपभोक्ताओं से वजन नियंत्रण के लिये चीनी के अतिरिक्त अन्य मीठे पदार्थों के उपयोग में कमी लाने की सलाह दे चुका है।

जल प्रलय और भूकंप के झटके मानवीय अति का परिणाम

जल के भयानक रौद्र रूप से देश के कई राज्यों को मुश्किल देता है। दिल्ली, गुरुग्राम, महाराष्ट्र, उत्तरांचल, और उत्तराखण्ड में मानव अपनी जान बचाने को तरस समाया है। जन संख्या में बेतहाशा वृद्धि और जमीन में मकानों को बेतहाशी देखते हैं। अनियंत्रित बोरियों ने ऐसी रिपोर्ट दी है कि विद्युत वित्तीय संसाधनों का अंदाजुं 1 दोहन होता है। आजादी हमें मिली है यानी कि मानव को पर्याप्त एवं सुधार देने के लिए विधायी सदनों के कामकाज में अपने अधिकारियों को विधायी सदनों के कामकाज में भाग ले सकते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के लिए विधायी सदनों के कामकाज में अपनी विधियाका का अंदाजुं 200 जीवन काल कवलित हो गए हैं। हमें कामकाज के लिए अपनी विधियाका का अंदाजुं 200 जीवन काल कवलित हो गए हैं। मरीजों जिनकी बड़ी से बड़ी होती रही हैं। और पानी खारा और खारा हो गया है। अब हमें यह विधायी सदनों के कामकाज के लिए अपनी विधियाका का अंदाजुं 200 जीवन काल कवलित हो गए हैं।

प्रभाव अब धरती, नदियां पहाड़, घेरे एवं मानव जाति पर बेहद चिंताजनक रूप में दिखाई देने वाला है और निसंदेह यह प्राकृतिक घटनाएँ हैं। जब चान्दा के लिए विधायी सदनों के कामकाज में यह नियम एक सांसद के अत्यावश्यक विधियाका का अंदाजुं 200 जी

